उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14—अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

CIN-U32201UP1999SGC024928

संख्या : 400—पें0एवंआर0—28/पाकालि/19—108—पेंशन—31/90(VoII-III), दिनांक 01 अप्रैल, 2019

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन,
लखनऊ

निदेशक,
कोषागार,
कोषागार निदेशालय,
लखनऊ

निदेशक,
वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय,
जवाहर भवन,
लखनऊ

विषय : **उ0प्र0 पावर कारपोरेन लि0 एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों तथा केस्को, कानपुर के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेशंन/पारिवारिक पेशन पर दिनांक 01 जनवरी, 2019 से महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन निर्गत शासनादेशों के प्राविधानो के अनुसार संशोधित/स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेशन पर दिनांक 01 जनवरी, 2019 से महंगाई राहत की एक और किश्त 03% की दर से दिये जाने की स्वीकृति वित्त (सामान्य) अनुभाग—3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या—13/2019/सा—3—261/दस—2019—301/2000टीसी, दिनांक 26 मार्च, 2019 द्वारा प्रदान की गयी है। राज्य सरकार के पेंशनरों को अनुमन्य महंगाई राहत में उपर्युक्त बढोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की दर दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 09% से बढ़कर 12% हो गई है।

उक्त के अनुक्रम में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एव उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को सहित के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से देय पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत की दरें उपर्युक्त शासनादेश की अनुरूपता में निम्नवत् अनुमन्य कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

क्र0सं0	महंगाई राहत अनुमन्यता की तिथि	बढ़ी हुई महंगाई राहत की देय किश्त की दर	महंगाई राहत की देय कुल दर (मासिक)
1	01 जनवरी, 2019	03 प्रतिशत	12 प्रतिशत

2— मँहगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजर अंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा उसके अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में मान लिया जायेगा।

3— दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित अनन्तिम पेंशन पर भी उपर्युक्तानुसार महगाई राहत अनुमन्य होगी।

4— पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय संख्या—1054—डब्लू0सी0/रा0वि0प0(औ0सं0/उन्नीस)—14(23)एफ/85, दिनांक 16 जून, 1988 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर उक्त अतिरिक्त राहत के भुगतान के लिये उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/कोषागार द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अनुसार महंगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।

5— महंगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व में निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0)

क्रमशः....2

संख्या–400(I)पें0एवंआर0–28/पाकालि/19, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित–

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को–कानपुर/ट्रान्सको, लखनऊ।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियां।
7. समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ0प्र0।
8. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियॉ।
10. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाईल।

आज्ञा से,

1.7.19

(सैय्यद आरिफ हैदर)
अनु सचिव(पें0एवंआर0)